**संख्या-13/1-ई.एम./2013-का-4-2013**

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2013

विषय:-कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से की जा रही हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि हड़ताल में शामिल कर्मियों/संघों/संगठनों द्वारा जन सामान्य से जुड़ी हुई आवश्यक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न न करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

2. उक्त तथ्य का संज्ञान में रखते हुए, आम नागरिकों से संबंधित आवश्यक सेवायें यदि कहीं बाधित हुई हों, तो उन्हें तत्काल बहाल किया जाये। ऐसे तत्व, जो इन सेवाओं के बहाल करने में बाधक हों, उनके संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2013 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा में जन-सामान्य को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1-ई.एम./2013(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in